न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—205/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/205)

1. रघुवीर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति दरोगा निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
2. विजय सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
3. प्रियंका पुत्री किरण कंवर पुत्री स्व0 भंवरलाल
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र किरण कंवर
5. चंद्रभान सिंह पुत्र किरण कंवर
6. जयसिंह पुत्र कन्हैयालाल
7. वीरसिंह पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति दरोगा, निवासी भिनाय, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत—धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, राजस्व वाद संख्या 216/2017

उपस्थितः—

1. श्री गोविंद शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गौतम टांक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7

निर्णय

दिनांकः—25.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 216/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 92ए, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 एवं शेष

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा उक्त वाद पत्र दिनांक 29.11.2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। जिस पर दिनांक 10.1.2018 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की की ओर से जरिए अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद अनुपस्थिति रहने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात पत्रवली जवाब हेतु नियत क दी गई। इसी बीच कोरोना महामारी के चलते रहने के दौरान पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी और दिनांक 10.9.2020 को मौजूदा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थिति रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व पत्रावली वास्ते जवाब नियत कर दी गई। तत्पश्चात दिनांक 8.7.2021 को विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर दिया और तहसीलदार भिनाय को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 216/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 10.9.2020 को एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जिसकी उसके कोई जानकारी नही हो सकी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण वकील साहब ने भी संपर्क करने हेतु मना कर रखा था न्यायालय भी बंद थे इस कारण से उसे तारीख पेशियों का पता नहीं चल सका। अभी कुछ समय पूर्व जब विपक्षी ने मौके पर फसाद शुरू किया और कहा कि प्रकरण का निस्तारण उनके पक्ष में हो गया है जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि प्रकरण का निर्णय एकतरफा में कर दिया गया है जिस पर प्रार्थी ने उन्हें सूचित नहीं किए जाने का औलाहवना दिया व प्रार्थी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी कर नकल प्राप्त कर दिनांक 19.7.2022 को अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर अविलंब अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने भी कोरोना काल की अवधि में पारित निर्णयों को मियाद की समय सीमा से बाहर रखा है उनहोंने अपने निण्रय के द्वारा दिनांक 15.3.2020 से 28.2.2022 तक की अवधि को कोरोनाकाल के कारण मियाद से बाहर रखा है। हस्तगत प्रकरण में भी पारित निर्णय व डिक्री इसी अवधि काल का है, इस कारण तकनीकी रूप से मियाद का बिंदु हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरभाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष अपीलांट द्वारा जरिए अधिवक्ता दिनांक 10.1.2018 को उपस्थित दे दी थी तत्पश्चात पत्रावली उसके जवाब में नियत कर दी गई। परंतु उसके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही विचारण न्यायालय द्वारा कभी अपीलांट का जवाब बंद करने का आदेश पारित किया। इसी बीच विश्व व्यापी कोरोना महामारी आ गई इस कारण न्यायालयों में कार्य स्थगित रहे, जिससे अपीलांट को उसके प्रकरण में तारीख पेशी की भी जानकारी नहीं हो सकी और दिनांक 10.9.2020 को जब कोरोना महामारी के बाद प्रथम बार न्यायालय खुला तो उसके व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति अंकित करते हुए एकतरफा कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी

कर दिए। जबकि प्रस्तुत वाद बंटवारो का व स्थाई निषेधाज्ञा का था जिसमें अपीलांट का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था परंतु दिनांक 10.9.2020 के बाद एकाएक दिनांक 8.7.2021 को प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा वैद्यानिक त्रुटि कारित की है। वादी का वाद मिसकनसिवड था, उसके द्वारा संयुक्त रूप से वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होना बताया है और इसी अनुसार ही वाद डिक्री किए जाने की प्रार्थना की है। जबकि एक ओर वह वाद बंटवारे का प्रस्तुत कर रहा है। जो संयुक्त हिस्सा दर्शाते हुए कभी डिक्री नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रकरण को कन्टेस्ट करता। परंतु उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई और विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विधिक स्थिति को समझे बिना दावे में वादी के द्वारा वर्णित कथनों के आधार पर ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है। बंटवारे के वाद में जो प्राथमिक डिक्री पारित होती है उसके प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा बताया जाता है तदनुसार ही निर्णय पारित होता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित किए है उसमें इसका पूर्ण अभाव है किस पक्षकार का कुल जमीन में कितना हिस्सा बनता है, कहीं नही दर्शाया गया है कोई खुलासा नहीं किया गया है। कानून की भी यही मंशा है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट अधिवक्ता के विश्वास में रहा कि उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया जाएगा। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2021 नॉन स्पीकिंग नॉन रिजण्ड होने से भी निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 216/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक वाद पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय बी तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 393 में दर्ज खसरा नम्बर 4825 रकबा 0.64, 4826 रकबा 0.03, 4827 रकबा 0.12 किस्म बारानी 2 किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है तथा अपने इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण व

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रतिवादी संसख्या 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त काश्त की अविभाजित है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादीगण उक्त संयुक्त आराजीयात में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहते है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. दिनांक 23.8.2022 को वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 धारा 151व 153 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2021 को हो चुका था परंतु अपील प्रस्तुत करते समय सहवन से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के शीर्षक के आधार पर उसे रेस्पोडेंट संख्या 1 के रूप में पक्षकार बना लिया गया जो कि सदभाविक त्रुटि है।

9. रेस्पोडेंट संख्या 1 भंवरलाल के निम्न वारिसान हैं।

1/1विक्रम सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
1/2 विजय सिंह पुत्र स्व0 भंवरलाल
1/3 किरण कंवर पुत्री (फौत) स्वर्गीय भंवरलाल–
1/3/1 प्रियंका पुत्री किरण कंवर पुत्री स्व0 भंवरलाल
1/3/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र किरण कंवर
1/3/3चंद्रभान सिंह पुत्र किरण कंवर

10. रेस्पोडेंट संख्या 01 भंवरलाल जिसको सहवन से पक्षकार बना लिया गया है उसके स्थान पर उसके उपरोक्त विधिक वारिसानों को उनवानी अपील में बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। उक्त त्रुटि सहवन से हुई है किसी बदनीयति पूर्वक उक्त त्रुटि कारित नहीं की गई है जो क्षम्य योग्य हैं।

11. यह कि तारीख पेशी पर जब अपीलांट अजमेर आया तो अपील मीमों देखकर अपने वकील साहब को कहा कि रेस्पोडेंट संख्या 01 भंवरलाल का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है जिसके उपरोक्त वारिसान है, उससे प्राप्त सूचना के आधार पर तुरंत ही उक्त प्रार्थना पत्र माननी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक भंवरलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान करावे।

12. दिनांक 23.8.2022 को ही पीठासीन अधिकारी न्यायालय हाजा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मृतक रेस्पोडेंट संख्या 1 भंवरलाल के वारिसान– विक्रमसिंह, विजयसिंह, प्रियंका, गजेन्द्रसिंह, चंद्रभानसिंह को अभिलेख पर लिए जाने का आदेश दिया, तथा संशोधित उनवान को पत्रावली पर लिया गया।

13. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी के अनुसार दिनांक 10.9.2020 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी। जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। कोरोना काल के दौरान दिनांक 15.3.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी

से दिनांक 28.2.2022 तक की अवधि को उच्चतम न्यायालय ने इस अवधि में पारित निर्णय को मियाद की समय सीमा से बाहर रखा है। अपीलाधीन निर्णय भी इसी अवधि का है इस वजह से मियाद का बिंदु हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। विलंब पूर्ण रूप से सदभाविक है एवं क्षमा किए जाने योग्य है।

14. प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र भी दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.9.2020 एकपक्षीय रूप से दिया गया एवं कोरोना काल की अवधि का है उक्त अवधि में पारित निर्णय को मियाद सीमा से छूट दी गई है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है निश्चित तौर पर अपीलांट को जानकारी नहीं रही होगी जानकारी होते ही दिनांक 18.7.2022 को उसके द्वारा नकल प्राप्त कर दिनांक 19.7.2022 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 20.7.2022 को नकल प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को जानकारी दिनांक से एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई छूट के संदर्भ में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

15. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2021 पारित कर दी गई है एवं अंतिम डिक्री पारित किए जाने हेतु तहसीलदार से मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई है। प्रकरण में प्रार्थी को उसका पक्ष रखने का कहीं अवसर नहीं मिला है ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करदी गई तो रेस्पोडेंट के मनमाफिक बंटवारा कर दिया गया तो प्रार्थी को भारी मानसिक आर्थिक हानि होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है साथ ही सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपने पक्ष में बताया अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.7.2021 की पालना व प्रभाव को अपील निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया जाए।

16. उभयपक्ष अभिभाषक बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में भंवरलाल व जयसिंह द्वारा धारा 53, 92ए, 188, 209 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा विवादित खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 4825,4826,4827 कुल किता तीन कुल रकबा 0.79 है0 भूमि ग्राम भिनाय में स्थित होकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। तथा दोनों वादी व प्रतिवादी सगे भाई हैं। दिनांक 10.1.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान अपीलांट अपने अभिभाषक के जरिए उपस्थित हुआ पत्रावली लोक अदालत में भी रखी गई मगर सहमति नहीं बनी दिनांक 8.7.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है हम पीडी के विरूद्ध निम्न आधार पर अपील कर रहे हैं। हमे प्रोपर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जवाब बंद बाबत प्रोसिडिंग में कोई अंकन नहीं है। पीडी में प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा अंकित करना होगा ना की जमाबंदी के तथ्य प्रकरण को पुनः रिमाण्ड करे पक्षकार का जवाब लिया जाना चाहिए था।

17. बहस में वकील रेसपोडेंट ने बताया कि दिनांक 7.7.2022 को रघुवीर सिंह द्वारा जवाब पेश नहीं करके आपत्ति पेश की गई है उक्त आपत्ति पत्र में रघुवीर सिंह द्वारा पारिवारिक खर्चे बाबत उज्र अंकित की है अभी कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। अपील मियाद बाहर है।

18. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि हमारी आपत्ति फैसले के बाद दिनांक 7.7.2022 की है तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कोरोना अवधि के दौरान माफ किया गया था। पीडी में हिस्सा अलग-अलग दर्ज होना चाहिए था।

19. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय प्रोसिडिंग

राजस्व अपील अधिकारी

भंवरलाल बनाम रघुवीरसिंह वगैराह प्रकरण संख्या 216/2017 प्रोसिडिंग दिनांक 29.11.2017 से दिनांक 22.7.2022 का अवलोकन किया गया वर्तमान अपीलांट रघुवीरसिंह की ओर से दिनांक 10.1.2018 को उनके वकील कन्हैयालाल मेवाडा द्वारा वकालत नामा पेश किया गया था। दिनांक 12.4.2018 को यह अंकित किया हुआ है कि जवाब हेतु समय चाहते हैं। दिनांक 19.6.2018 को लोक अदालत में प्रकरण को रखा गया मगर समझाईश नहीं हो सकी दिनांक 15.12.2018, 14.6.2019 को वकील प्रतिवादी द्वारा समय चाहा गया। दिनांक 10.9.2020 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। स्पष्ट है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का पूरा अवसर न्यायालय द्वारा दिया गया है उसके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। अतः वकील अपीलांट के इस आक्षेप को खारिज किया जाता है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

20. दिनांक 07.07.2022 को वर्तमान अपीलांट रघुवीर सिंह द्वारा पीडी जारी होने के बाद आपत्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया था कि ग्राम रूपपुरा तहसील भिनाय के खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 75,76,77,78,80/456 व 87 उसका हिस्सा है जिसमें बदनियती व गलत इरादे से गलत सजरा पेश कर नामांकन व हिस्सेदारी में फेरबदल कर दिया है इस जमीन का बंटवारा भी मेरी सहमति के बिना अंकित करवा दिया जो जमीन कृषि योग्य नहीं है। जो जमीन कृषि योग्य थी उस पर अवैध खनन कर गहरी खाईयां खोद दी और उस पर कृषि कनेक्शन के पोल व कैंची लगा दी इस जमीन पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। वादीयो से प्रार्थी के पारिवारिक व खर्चे संबंधित मसले भी हल नहीं होते हैं। इन सब से बचने के लिए यह लोग माननीय न्यायालय की शरण में आए हैं, अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त बंटवारा प्रकिया रोककर तैयार नहीं करने की कृपा करें।

21. उक्त आपत्ति पत्र में अंकित भूमि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि नहीं है। जहां तक पारिवारिक खर्चे से संबंधित दोनों पक्षों के मध्य विवाद है, इस बाबत अपीलांट चाहे तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

22. अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी भिनाय के आपरेटिव हिस्से का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है– **अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय बी तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 393 में दर्ज खसरा नम्बर 4825 रकबा 0.64, 4826 रकबा 0.03, 4827 रकबा 0.12 किस्म बारानी 2 किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि का मिटस एवं बाउण्ड के आधार पर उपवर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिकी कायम की जाती है। यथानुसार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करे।**

23. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का अवलोकन किया गया उन्होंने जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करके एवं बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने बाबत निर्देश दिया है। जो उचित है, क्यों कि पक्षकारों का कितना–कितना हिस्सा बनता है यह जमाबंदी में दर्ज अंकन के अनुसार ही देखा जाता है। अतः वकील अपीलांट के इस आक्षेप को खारिज किया जाता है कि आरम्भिक डिकी में प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा अलग–अलग करके नहीं बताया गया है।

24. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड– अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या

25/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

216/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

25. निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर